

[2023] 5 एस. सी. आर 701

ए.

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम.

भारत और अन्य का संघ (2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 967) 02 फरवरी, 2023
बी.

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई, पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा और जे. बी.
पारदीवाला, जे. जे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: धारा 33 (7)-एस की संवैधानिक वैधता। 33(7) एक व्यक्ति को एक ही पद के लिए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देना-याचिका कि किसी व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए-आयोजित: इस तरह की राहत नहीं दी जा सकती-किसी उम्मीदवार को संसदीय चुनाव में या राज्य विधानसभा के चुनाव में एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देना विधायी नीति का विषय है-यह एक ऐसा मामला है जहां संसद विधायी विकल्प चुनने और कानून बनाने या संशोधन करने की वैध रूप से हकदार है-अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के प्रावधान या उल्लंघन की कोई स्पष्ट मनमानेपन के अभाव में, प्रावधान को असंवैधानिक के रूप में रद्द करना संभव नहीं है-हालाँकि, संसद अपने विधायी प्राधिकरण-भारत का संविधान-कला के अनुसरण में किसी भी समय ऐसा करने का निर्णय लेने पर उचित दृष्टिकोण रखने से नहीं रोकती है। 14, 19.

सी.

डी.

ई.

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: 2017 की लिखित याचिका (सिविल) No. 967।

एफ.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

याचिकाकर्ता की ओर से गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता, अश्विनी कुमार दुबे, अधिवक्ता।

आर. वेंकटरमानी, एजी, तुषार मेहता, एसजी, सुश्री सौदामिनी शर्मा, श्रीमती रुखमिनी बोबडे, अंकुर तलवार, चिन्मायी चंद्र, कानू अग्रवाल, दिग्विजय दाम, विनायक मेहरोत्रा, श्रीमती मानसी सूद, चितवन सिंघल, सुश्री सोनाली जैन, अभिषेक कुमार पांडे, रमन यादव,

आनंद वेंकटरमानी, सुश्री विजय लक्ष्मी वेंकटरमानी, अरविंद कुमार शर्मा, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, पल्लवी बरुआ, सुश्री साक्षी उपाध्याय, सुश्री अपर्णा सिंह, बालाजी श्रीनिवासन, अधिवक्ता।प्रत्यर्थागणओं के लिए।

जी.

एच.

701

702

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, सीजेआई

1. याचिकाकर्ता ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 (7) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है।

बी.

2. उपरोक्त चुनौती के अलावा, याचिकाकर्ता केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से एक ही पद के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग करता है। 3. इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि तीसरी प्रार्थना, प्रार्थना (सी), जिसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को "स्वतंत्र उम्मीदवारों को संसदीय और विधानसभा चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए उचित कदम उठाने" का निर्देश देने की मांग की गई थी, को इस अदालत के 11 दिसंबर 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

सी.

डी.

4. याचिका का आधार यह है कि 5 जुलाई 2004 को मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से 1951 के अधिनियम की धारा 33 (7) में संशोधन करने का आग्रह किया क्योंकि यह एक व्यक्ति को एक ही पद के लिए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। याचिकाकर्ता का आग्रह है कि विधि आयोग ने अपनी 255 वीं रिपोर्ट में राय दी थी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह

प्रावधान किया जा सके कि किसी व्यक्ति को एक बार में एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ई.

5. हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन और भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमानी को सुना है। भारत निर्वाचन आयोग भी अपने अधिवक्ता श्री अमित शर्मा के माध्यम से इन कार्यवाही में उपस्थित हुआ है।

एफ.

6. भारत संघ और चुनाव आयोग द्वारा जवाबी हलफनामे दायर किए गए हैं।

7. सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने आग्रह किया कि याचिका संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मुद्दे को शामिल करती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि नागरिक अन्य विवरणों के साथ-साथ उम्मीदवार के चरित्र, योग्यता और आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। जब एक उम्मीदवार जो दो सीटों से चुनाव लड़ता है, दोनों से चुना जाता है, तो दो सीटों में से एक है

जी.

1 “1951 का अधिनियम ”

एच.

703

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

ए.

खाली करने के लिए। उपचुनाव कराने के लिए सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ के अलावा, यह आग्रह किया गया है कि जिन मतदाताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए अभ्यावेदन के आधार पर किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है, वे संसदीय या राज्य विधानसभा क्षेत्र के लिए उस उम्मीदवार द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने से वंचित रहेंगे।

नतीजतन, यह आग्रह किया गया है कि जिस मतदाता ने अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अपने जानने के अधिकार के अनुसरण में उम्मीदवार को चुना है, वह उम्मीदवार के सीट खाली करने पर अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा।

बी.

8. 1951 के अधिनियम की धारा 33 (7) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

सी.

“उप-धारा (6) या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी व्यक्ति को चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित नहीं किया जाएगा, -

(क) लोक सभा के लिए आम चुनाव (चाहे सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ हो या न हो) के मामले में, दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से; (ख) किसी राज्य की विधानसभा के लिए आम चुनाव (चाहे सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ हो या न हो) के मामले में, उस राज्य के दो से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से;

डी.

ई.

(ग) ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के मामले में, राज्य में दो से अधिक परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से;

(घ) किसी राज्य को आवंटित दो या अधिक सीटों को भरने के लिए राज्य परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के मामले में, ऐसी दो से अधिक सीटों को भरने के लिए;

एफ.

(ङ) एक साथ होने वाले दो या दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोकसभा उपचुनावों के मामले में, ऐसे दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से;

जी.

(च) किसी राज्य की विधानसभा के लिए दो या दो से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से उपचुनाव के मामले में, जो एक साथ आयोजित किए जाते हैं, ऐसे दो से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से;

एच.

704

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

(छ) किसी राज्य को आवंटित दो या दो से अधिक सीटों को भरने के लिए राज्य परिषद के उपचुनाव के मामले में, जो एक साथ आयोजित किए जाते हैं, ऐसी दो से अधिक सीटों को भरने के लिए;

(ज) दो या दो से अधिक परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के लिए उपचुनाव के मामले में, जो एक साथ आयोजित किए जाते हैं, ऐसे दो से अधिक परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से।

बी.

स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, दो या दो से अधिक उपचुनाव एक साथ आयोजित किए गए माने जाएंगे, जहां चुनाव आयोग द्वारा धारा 147, 149, 150 या, जैसा भी मामला हो, उसी तारीख को, 151 के तहत ऐसे उपचुनावों को बुलाने वाली अधिसूचना जारी की जाती है।”

सी.

9. उपरोक्त प्रावधान 1 अगस्त 1996 से 1996 के अधिनियम 21 द्वारा जोड़ा गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के महान्यायवादी के बीच यह सामान्य आधार है कि 1 अगस्त 1996 से पहले, उन सीटों की संख्या पर कोई रोक नहीं थी जो एक उम्मीदवार एक चुनाव के दौरान लड़ सकता था, चाहे वह संसदीय या राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हो। संसद ने यह प्रावधान करने के लिए कदम उठाया है कि एक उम्मीदवार एक ही चुनाव में एक साथ दो से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है।

डी.

10. याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा विधायी क्षेत्र से संबंधित है। निस्संदेह, जहाँ एक उम्मीदवार एक ही आम चुनाव के दौरान एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ता है, यदि उम्मीदवार दोनों चुनावी प्रतियोगिताओं में सफल होता है तो एक सीट खाली करनी पड़ती है। इसके लिए उपचुनाव की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव पड़ता है। हालाँकि, मुद्दा यह है कि क्या यह अपने आप में एक वैधानिक प्रावधान को अमान्य कर देगा।

ई.

एफ.

11. एक सांविधिक प्रावधान को न्यायालय के समक्ष या तो इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह एक ऐसी विधायिका द्वारा बनाया गया है जिसमें कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है या इस आधार पर कि संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पूर्व मुद्दा में नहीं है।

जी.

12. किसी उम्मीदवार को संसदीय चुनाव या राज्य विधानसभा के चुनाव में एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देना विधायी नीति का विषय है। यह विधायी नीति से संबंधित मामला है क्योंकि अंततः संसद यह निर्धारित करती है कि क्या राजनीतिक ए

एच.

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

1951 के अधिनियम की धारा 33 (7) द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्प के माध्यम से देश में लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जाता है। एक उम्मीदवार जो एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ता है, वह विभिन्न कारणों से ऐसा कर सकता है, न कि केवल उस अनिश्चितता पर जो उम्मीदवार चुनाव परिणाम के बारे में समझता है। अन्य विचार हैं जो यह निर्धारित करने में संतुलन में वजन करते हैं कि क्या यह देश में चुनावी लोकतंत्र के पाठ्यक्रम को प्रतिबंधित करेगा। यह एक ऐसा मामला है जहां संसद वैध रूप से विधायी विकल्प चुनने और कानून बनाने या संशोधन करने की हकदार है। विधि आयोग और चुनाव आयोग ने भौतिक समय पर कुछ दृष्टिकोण व्यक्त किए होंगे। उन्हें कानून के जनादेश में परिवर्तित किया जाना चाहिए या नहीं, यह कानून बनाने में संसदीय संप्रभुता के प्रयोग पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को शामिल करने या अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के लिए प्रावधान की किसी भी स्पष्ट मनमानेपन के अभाव में, इस न्यायालय के लिए इस प्रावधान को असंवैधानिक के रूप में रद्द करना संभव नहीं होगा।

बी.

सी.

13 यदि संसद अपने विधायी प्राधिकरण के अनुसरण में किसी भी समय ऐसा करने का निर्णय लेती है तो यह संसद को उचित दृष्टिकोण रखने से नहीं रोकेगा। संसद ने अतीत में 1996 के अधिनियम 21 के रूप में हस्तक्षेप किया है जो एक ही चुनाव में चुनावी प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवार की पसंद को दो सीटों तक सीमित करता है।

डी.

14. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि इन कार्यवाहियों में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

ई.

15. तदनुसार याचिका खारिज हो जाएगी। 16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

निधि जैन

लिखित याचिका खारिज कर दी गई।

एफ.

जी.

एच.

